IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अंतरंग साथी हिंसा की सीमा, प्रकृति और परिणाम

- रीना कुमारी राय,
सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग,

- धर्मानन्द गोगोई,
मिज़ोरम यूनिवर्सिटी

सार:

अंतरंग साथी हिंसा से दुनिया भर में लाखों लोग पीड़ित हैं, जिससे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम होते हैं और इसके परिणामस्वरूप रिश्ते टूटते हैं और बच्चे प्रभावित होते हैं। इसकी व्यापकता के बावजूद, यह एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली घटना नहीं है। इस लेख के माध्यम से, हम इस विषय पर साहित्य की संक्षेप में समीक्षा करते हैं, अंतरंग साथी हिंसा की विज्ञान और टाइपोलॉजी, स्थायी कारकों और परिणामों, भारत में प्रासंगिक कानूनों, जांच और हस्तक्षेप के कदमों पर जोर देना ही इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है।

परिचय

अंतरंग साथी हिंसा को अंतरंग संबंध (विवाहित, अविवाहित और लिव-इन) के भीतर किसी भी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस रिश्ते में उन लोगों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या यौन नुकसान पहुंचाता है। इस परिभाषा में शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक आक्रामकता/दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के नियंत्रित व्यवहार को शामिल किया गया है। यह वैचारिक रूप से घरेलू हिंसा से भिन्न है। घरेलू हिंसा को परिवार के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य द्वारा किये जाने वाले शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें आम तौर पर सभी प्रकार की पारिवारिक हिंसा शामिल होती है जैसे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और वैवाहिक बलात्कार; हालाँकि, अंतरंग साथी हिंसा अंतरंग साझेदारों के बीच आक्रामकता के कृत्यों तक ही सीमित है। चूंकि अंतरंग साथी हिंसा के मामलों में महिलाओं को चोट लगने की संभावना अधिक होती है, पुरुष-से-महिला साथी हिंसा का अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया है, हालांकि पुरुष-से-महिला और महिला-से-पुरुष साथी हिंसा दोनों मौजूद हैं।

अंतरंग साथी हिंसा के प्रकार

- हिंसा की गंभीरता के अनुसार, हिंसा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:
  (i) स्तर I का दुरुपयोग: धक्का देना, धकेलना, पकड़ना, डराने-धमकाने के लिए वस्तुओं को फेंकना या संपत्ति और पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना।
  (ii) स्तर II का दुरुपयोग: लात मारना, काटना और थप्पड़ मारना।
  (iii) स्तर III: हथियार का उपयोग, गला घोंटना, या गला घोंटने का प्रयास।

- हिंसा के विभिन्न रूपों के अनुसार:
  (i) अंतरंग आतंकवाद/पितृसत्तात्मक आतंकवाद: आक्रामकता मुख्य रूप से पुरुष से महिला तक होती है, जो न केवल साथी को नियंत्रित और हावी करने का काम करती है बल्कि डर पैदा करने का भी काम करती है।
  (ii) हिंसक प्रतिरोध: ऐसी स्थिति जहां साथी अक्सर आत्मरक्षा में ऐसी आक्रामकता का विरोध करता है, साथी को चोट लगने की संभावना अधिक होती है।
  (iii) स्थितिजन्य युगल हिंसा/सामान्य युगल हिंसा: आक्रामकता द्विदिशात्मक, कम तीव्रता वाली होती है और अक्सर नियंत्रण या आत्मरक्षा के उपकरण के बजाय स्थितिजन्य संघर्ष के परिणामस्वरूप होती है।

दुनिया भर में कभी साथी बनी तीन महिलाओं में से एक को किसी अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव हुआ है। इन महिलाओं में से, 42% को तत्काल शारीरिक चोटें आईं, और 13% घातक रूप से घायल हुईं। लगभग 13%-61% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कभी न कभी किसी साथी द्वारा शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। लगभग 4%-49% ने गंभीर शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, और 6%-59% ने यौन हिंसा का अनुभव किया है। पूरे दक्षिण एशिया में इसकी घटना 8% से 50% के बीच है, और लगभग 31% भारतीय महिलाओं ने अपने वैवाहिक जीवन में किसी न किसी समय अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया है।

कारक जो अंतरंग साथी हिंसा को कायम रखते हैं

- सांस्कृतिक: अतीत में धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं ने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार और स्वामित्व की धारणा के तहत पत्नियों को दंडित करने और पीटने की मंजूरी दी है। यह, बदले में, महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण को वैध बनाता है। कई समाजों में, महिलाओं की कामुकता को पारिवारिक सम्मान से जोड़ा जाता है। इन समाजों में पारंपरिक मानदंड उन महिलाओं की हत्या की अनुमति देते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने परिवार का अपमान किया है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के कृत्यों को किसी के सम्मान को बदनाम करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। प्रतिकूल बचपन के अनुभव, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और शारीरिक और यौन शोषण का अनुभव कारकों के रूप में पहचाने गए हैं।
- आर्थिक: हिंसा और आर्थिक संसाधनों की कमी और निर्भरता के बीच संबंध बहुत स्पष्ट है। हिंसा का जोखिम और खतरा महिलाओं को नौकरी खोजने से रोकता है और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के कारण वे अपमानजनक रिश्ते में फंस जाती हैं।

- कानूनी: कानून प्रवर्तन एजेंसियां अक्सर अपने पीड़ितों को नियंत्रित करने और अपमानित करने के हमलावरों के प्रयासों को मजबूत करती हैं। कई मामलों में, कानून मौजूद होने के बावजूद, हिंसा के अपराधियों के साथ अजनबियों के साथ समान हिंसा के अपराधियों की तुलना में अधिक नरमी से निपटा जाता है।
- राजनीतिक: परिवार के निजी होने और राज्य के नियंत्रण से परे होने की गलत धारणा है। सत्ता, राजनीति, मीडिया और कानूनी व्यवस्था में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समस्या और भी जटिल हो गई है।
- शराब की भूमिका इस प्रकार है:
  - (i) सांस्कृतिक कारक: समाज में दृढ़ता से प्रचलित धारणा है कि शराब पीने के बाद हिंसक व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है और हिंसक व्यवहार के बहाने के रूप में शराब का उपयोग बढ़ रहा है। खराब आत्मसम्मान के साथ भेदभावपूर्ण पालन-पोषण भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को स्वीकार करता है। इसके अलावा, यह हो सकता है कि शराब का संबंध अधिक समवर्ती हो और पुरुषों की ओर से मर्दानगी की अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण हो।
  - (ii) व्यक्तिगत कारक: भारी शराब पीना, अपने आप में वैवाहिक संघर्ष और असंतोष का एक स्रोत हो सकता है जो आगे बढ़ सकता है। शराब अपने आप में शक्ति और नियंत्रण उद्देश्यों की विकृतियों को बढ़ा सकती है।
  - (iii) संज्ञानात्मक कारक: शराब सीधे तौर पर आक्रामकता बढ़ा सकती है या व्यक्ति में विभिन्न संज्ञानात्मक परिवर्तन ला सकती है जो उसे आक्रामकता की ओर ले जाती है। शराब व्यक्ति की आत्म-नियंत्रण, सीखने की क्षमता को ख़राब कर देती है और संतुष्टि में देरी करने की क्षमता को ख़राब कर देती है जिससे कोई भी आक्रामक हो सकता है। इससे ध्यान, एकाग्रता, संज्ञानात्मक लचीलेपन और कार्यकारी संज्ञानात्मक कामकाज में गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं।
  - (iv) समीपस्थ और दूरस्थ कारक: समीपस्थ कारक, जैसे शराब के संज्ञानात्मक प्रभाव, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेत, राज्य का गुस्सा अंतरंग साथी हिंसा को आगे बढ़ा सकता है। दूरस्थ कारक वे होते हैं जो स्वयं हिंसा का कारण नहीं बन सकते हैं लेकिन समीपस्थ कारकों के प्रभाव में हिंसा हो सकती है। उदाहरण व्यक्तित्व, संबंध विशेषताएँ और क्रोध और शत्रुता जैसे लक्षण हैं।
  - (v) प्रासंगिक कारक: एक साथी द्वारा अत्यधिक शराब पीने से वैवाहिक कलह बढ़ सकती है, जिससे हिंसा का खतरा बढ़ सकता है। शराब आग में चारे डालने के समान हो सकती है, जो अंतरंग साथी हिंसा पैदा करने में योगदान दे सकती है।

अंतरंग साथी हिंसा के परिणाम/परिणाम

- अंतरंग साथी हिंसा किसी को भी अपने मौलिक अधिकारों से इनकार और मानव विकास लक्ष्यों को कमजोर करता है।
- स्वास्थ्य संबंधी परिणाम दूरगामी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों को जन्म देते हैं, जिनमें से कुछ के परिणाम घातक होते हैं। अंतरंग साथी हिंसा के परिणामस्वरूप चोट और फ्रैक्चर से लेकर दीर्घकालिक विकलांगताएं हो सकती हैं, जैसे सुनने या दृष्टि की आंशिक या पूर्ण हानि और जलने से विकृति हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान हिंसा से मां और अजन्मे भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। यौन हमलों और बलात्कार से अवांछित गर्भधारण हो सकता है, और अवैध गर्भपात का सहारा लेने से खतरनाक जटिलताएँ हो सकती हैं। जिन लड़कियों के साथ बचपन में यौन दुर्व्यवहार हुआ है, उनके जल्दी संभोग जैसे जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें अवांछित और जल्दी गर्भधारण का खतरा अधिक होता है। हिंसक स्थितियों में महिलाएं गर्भनिरोधक का उपयोग करने या सुरक्षित यौन संबंध बनाने में कम सक्षम होती हैं, और इसलिए, यौन संचारित रोगों और एचआईवी/एड्स से संक्रमित होने का जोखिम अधिक होता है। इसके अलावा, पीड़ितों में तनाव और तनाव से संबंधित बीमारियाँ भी अधिक होती हैं।
- बच्चों पर प्रभाव: जिन बच्चों ने हिंसा देखी है या स्वयं पीड़ित हैं, उन्हें प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्हें भरोसेमंद बंधन बनाने में कठिनाई हो सकती है, वे संघर्षों को सुलझाने के वैध साधन के रूप में हिंसा सीख सकते हैं और दूसरों की तुलना में हिंसा को अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं।

भारत में प्रासंगिक कानून

- संविधान में निहित अधिकार: संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है, जो सम्मान के साथ और हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।
- 1961 का दहेज निषेध अधिनियम और 1984 और 1986 में दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम।
- भारतीय दंड संहिता (1983) की धारा 498ए इस प्रावधान के तहत पति (या उसके रिश्तेदारों) को जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।
- 1986 में आईपीसी में धारा 304बी जोड़ी गई। यह शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के लिए महिला के पति और ससुराल वालों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराता है।
- 2005 में, संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह महिलाओं को निषेधाज्ञा और सुरक्षात्मक आदेश लेने की अनुमति देता है। यह कारावास और जुर्माने के लिए आपराधिक प्रावधान भी प्रदान करता है, जो तब लागू होता है जब कोई अपराधी नागरिक आदेश का उल्लंघन करता है। इसमें अपमानजनक रिश्तों में शामिल सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, भले ही अपराधी का रिश्ता कुछ भी हो।

अंतरंग साथी की हिंसा की जांच

77% महिलाओं की अक्सर अंतरंग साथी हिंसा के लिए जांच नहीं की जाती है। ऐसा तब और अधिक होता है जब महिलाएं निम्न आर्थिक स्तर से होती हैं और उनके पास कोई सामाजिक समर्थन नहीं होता। एक अध्ययन के अनुसार शारीरिक रूप से प्रताड़ित अधिकांश महिलाएं (92%) अपने चिकित्सक को इसकी सूचना नहीं देती हैं। लेकिन कुछ अध्ययनों में कई दुर्व्यवहार पीड़ित महिलाओं ने इच्छा व्यक्त की कि उनके चिकित्सकों को उनके सहयोगियों के हाथों उनके साथ हुए किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी। चिकित्सा चिकित्सकों के बीच अंतरंग साथी हिंसा और इसकी भयावहता के बारे में जागरूकता के निम्न स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। तथ्य यह है कि केवल 10% प्राथमिक चिकित्सक ही नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं। अंतरंग साथी हिंसा से पीड़ित के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर समाज पर एक बड़ा वित्तीय बोझ भी डालता है। अंतरंग साथी हिंसा के लिए जांच से पीड़ित को समस्या को पहचानने में मदद मिलेगी, भले ही वे उस समय मदद स्वीकार करने के लिए तैयार न हों, इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और हिंसा से संबंधित चोटें कम होंगी, और वित्तीय तनाव भी कम होगा।

अंतरंग साथी हिंसा के पीड़ित जाति, पंथ और जनसांख्यिकीय या सामाजिक-जनसांख्यिकीय तक सीमित नहीं हैं। अंतरंग साथी हिंसा के पीड़ितों की भविष्यवाणी करना व्यावहारिक नहीं है। चिकित्सा कर्मियों को अंतरंग साथी हिंसा के जोखिम कारकों के बारे में पता होना चाहिए और इसकी जांच करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होना चाहिए। वास्तव में, जांच पीड़ितों को जागरूक होने और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने का एक प्रारंभिक अवसर प्रदान करती है। इसलिए, साथी हिंसा के लिए सभी रोगियों की जांच करना एक वांछनीय अभ्यास होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों का, जिनका इतिहास और शारीरिक निष्कर्ष दुर्व्यवहार का संकेत देते हैं। जैसे कि आपातकालीन कक्ष में बार-बार जाना, चोटों के बारे में असंगत स्पष्टीकरण या उपचार लेने में देरी, सिर और गर्दन की चोटें, और अस्पष्ट दैहिक शिकायतें।

जांच या तो चिकित्सा कर्मियों द्वारा साक्षात्कार या रोगी द्वारा भरी गई प्रश्नावली हो सकती है। स्क्रीनिंग के लिए कुछ सामान्य प्रश्नावली/उपकरण इस प्रकार हैं: हिट्स स्क्रीन। यह चार-आइटम स्केल (चोट, अपमान, धमकी और चीख) है। इसमें स्कोरिंग प्रणाली है। स्कोर चार से लेकर अधिकतम 20 तक होता है। 10 या अधिक का स्कोर दुर्व्यवहार का निदान माना जाता है। एसटीएटी स्क्रीन (थप्पड़ मारा, धमकी दी और फेंक दिया) - यह एक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण है। इसी तरह के अन्य उपयोगी उपकरण इस प्रकार हैं: महिला दुर्व्यवहार स्क्रीनिंग टूल, पिटाई पैमाने के साथ महिलाओं का अनुभव, संघर्ष रणनीति स्केल और दुर्व्यवहार मूल्यांकन स्केल। यह पांच-आइटम का पैमाना है जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए बनाया गया है। यदि पीड़ितों का डॉक्टर के साथ स्वस्थ, भरोसेमंद रिश्ता हो तो वे मदद करने में अधिक सशक्त होते हैं। सुरक्षा व्यवहार प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन से दुर्व्यवहार की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों या आश्रयों जैसे सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने से आगे दुरुपयोग का खतरा कम हो जाता है। पीड़ितों को यह समझाया जाना चाहिए कि दुर्व्यवहार कानून के विरुद्ध है। पुलिस संपर्क की पेशकश की जानी चाहिए, स्वास्थ्य

देखभाल पेशेवर को रोगी पर यह निर्णय लेने का दबाव नहीं डालना चाहिए कि वे जानकारी का खुलासा किसे करें। हालाँकि पुलिस से संपर्क करने से इंकार करना आम बात है, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को हताशा से बचना चाहिए क्योंकि इसका कारण दुर्व्यवहार का डर, वित्तीय निर्भरता, बच्चों के बारे में चिंता और आत्म-दोष हो सकता है। इसके अलावा, ऐसी कई एजेंसियां हैं जो पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना पीड़ितों को सहायता प्रदान करती हैं। मॉल, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और बाथरूम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी एजेंसियों और अन्य उपयोगी सलाह के विवरण के साथ पत्रक उपलब्ध कराने से पीड़ितों की दुर्दशा में सुधार करने में काफी मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

अंतरंग साथी हिंसा एक गंभीर और व्यापक रूप से प्रचलित समस्या है जिसे आमतौर पर कम पहचाना जाता है। यह हमारे जैसे विकासशील देश के सीमित संसाधनों को खत्म करने के अलावा पीड़ित को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान के जोखिम में डालता है। समस्या विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक कारकों से जटिल है। मादक द्रव्यों के सेवन, विशेषकर शराब का अंतरंग साथी हिंसा की घटनाओं से गहरा संबंध है। समुदाय, विशेषकर चिकित्सा प्रणाली को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जो ऐसे मामलों में रोकथाम, शीघ्र जांच और हस्तक्षेप को सक्षम करेगा।

संदर्भ

1. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/no-end-to-violence-against-women
2. https://www.leadindia.law/blog/how-and-where-to-complain-against-domestic-violence/
3. https://ncwapps.nic.in/MeeraDidiSePoochoHindi/Chapter04.pdf
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6278226/
5. https://hindi.momspresso.com/parenting/a7fdb43cd1a94cd59158868b597006c9/article/amtaramga-sathi-himsa-samasya-aura-samadhana-102unget8wp5
6. https://hi.hsc.unm.edu/medicine/departments/emergency-medicine/programs/cipre/cipre-programs/ipvdrt/
7. "Covid-19 aur Gharelu Hinsa", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.8, Issue 6, page no.f192-f195, June-2021, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR2106725.pdf
8. Miller, Elizabeth, and Brigid McCaw. "Intimate partner violence." New England Journal of Medicine 380.9 (2019): 850-857.
9. Finkel, Eli J., and Christopher I. Eckhardt. "Intimate partner violence." The Oxford handbook of close relationships (2013): 452-474.
10. Bhattacharya, Rinki, ed. Bharat Mein Gharelu Hinsa. SAGE Publishing India, 2017.
11. Wyatt, Robin. Tootey Darpan: Bharat Mein Dahej Samasya. SAGE Publishing India, 2016.